न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः— 3/2016 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

लक्ष्मण पुत्र गिर्राज कौम धाकड निवासी स्टेशन बजरिया तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध तत्कालीन तहसीलदार वैर क्रमांक राजस्व/भू0रू0/2001/1642—46 दिनांक 16.10.2001

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार।
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक : 01.02.2018

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 70/06, 71/0.12 किता—2 रकबा 18 विस्बा के 1/2 हिस्सा में से 728 वर्ग मीटर का रूपान्तरण (स्टोन क्रेशर हेतु) तत्कालीन तहसीलदार वैर के आदेश क्रमांक राजस्व/भू0रू0/2001 1642—46 दिनांक 16.10.2001 से किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 763 दिनांक 1.6.2009 से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज की गई थी। जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंकित किया है कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम गोठरा तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसके अलावा इस स्टोन क्रेंशर के पूर्वी दिशा गोठरा ग्राम जो लगभग 850 मीटर दूर है व उत्तर दिशा में ग्राम कोटापट्टी वैर नयावास 900 मीटर की दूरी पर है इसलिऐ ये क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार वैर द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.1.2018 को जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। नियत दिनांक को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि तहसीलदार वैर द्वारा जो रैफरेंस प्रस्तुत किया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्यों कि धारा 83 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की शक्तियां राज्य–सरकार की है जो राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर को डेलीगेट की हुई है इसलिये श्रीमान जी को उक्त धारा के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है इसलिऐ यह रैफरेंस काबिल खारिजी के है। इसके अलावा अप्रार्थी के हक में हुये भूमि रूपान्तरण जो राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत किया गया है के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त नियमों में सम्परिवर्तन अधिकारी ''विहित अधिकारी'' राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के नियम 8 के तहत नियुक्त किया गया है जो माननीय न्यायालय के अधीन अधिकारी नहीं है तथा उसके द्वारा की गई कार्यवाही को श्रीमान के न्यायालय में चेलेंज नहीं किया जा सकता है। रैफरेंसाधीन सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 16.10.2001 को 16 साल बाद चुनौती दी गई है जो मियाद बाहर भी है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार वैर व अन्य राजस्व कर्मचारयान की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। प्रार्थी के द्वारा विवादित आराजी का ग्राम गोठरा से 850 मीटर एवं ग्राम कोटापट्टी से 900 मीटर की दूरी पर होना गलत अंकित किया है। जबकि यह तथ्य वक्त रूपान्तरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2001 से प्रमाणित हो जाता है क्यों कि प0ह0 की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2001 में दूरी को 1 कि0मी0 माना है जिसके आधार पर बाद जांच तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त रूपान्तरण आदेश पारित किया गया है।

इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत किया गया है जो तत्कालीन प्रभावी नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन क्रेशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं क्रेशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वर्तमान में

समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण है। अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर मौके पर स्थित है। तहसीलदार वैर के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना **ढाणी मजरे से** की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज. 6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव 0की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही बाद जांच रूपान्तरण किया गया था। अप्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा मौके पर स्टोन क्रेशर का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा सरकारी पैरोकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। दौराने रूपान्तरण कार्यवाही तहसीलदार वैर द्वारा पत्रांक 1470 दिनांक 25.9.2001 से संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम 4 के तहत जांच रिपोर्ट तलब किये जाने पर संबधित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.10.2001 को जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें ग्राम गोठरा की दूरी 1 कि0मी0 स्पष्ट अंकित की गई है इसके अलावा अन्य सभी बिन्दुओं पर भी अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की गई है तदोपरान्त तत्कालीन तहसीलदार वैर द्वारा बाद जांच सही पाये जाने पर ही उक्त कनवर्जन आदेश जारी किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.10. 2001 में अंकित दूरी एवं प्रस्तुत रैफरेंस में अंकित दूरी ही परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2001 में भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानो के अनुसार नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज 17 वर्ष बाद प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश उक्त स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी पर होना मानकर जारी किय गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपान्तरण आदेश के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया है उसे भी अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक प्रदूषण एवं वृक्षारोपण, चार दीवारी अन्य मानदण्डों की बात है उसे इस रैफरेंस के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कार्यवाही हेतु सक्षम एवं स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप में पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार वैर उपरोक्त विवेचनानुसार समस्त तथ्यों के बारे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये जांच करें एवं दूरी सम्बन्धी जो विरोधाभास है उसका परीक्षण करें एवं दूरी सम्बन्धी प्रमाण यदि गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त कर तत्पश्चात ही दूरी सम्बन्धी ठोस रिपोर्ट पेश करने पर विधिक कार्यवाही अंतर्गत धारा 82 एल आर एक्ट के तहत मेन्टेबल होगी। साथ ही प्रदूषण संबधी मानकों की पालना हेतु रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है। यह रैफरेंस मेन्टेबल नहीं होने से उक्त निर्देश के साथ खारिज किया जाता है।

आज्ञा खुले न्यायालय में सुनाई गयी ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official